प्रकाशन हेतु अनुमोदित

मध्य प्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर

रिट याचिका क्रमांक 1247/1996

याचिकाकर्ता– कृषि उपज मंडी समिति, मुंगेली, द्वारा सचिव, श्री के.एम. भार्गव, आत्मज श्री बी.एन. भार्गव, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी मुंगेली, जिला बिलासपुर।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण– 1. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, बिलासपुर।

2. श्री रामेश्वर प्रसाद यादव, आत्मज श्री रिधि राम, निवासी ग्राम व पोस्ट– पथरिया, **जिला–बिलासपुर**।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत याचिका

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. याचिकाकर्ता का विवरण:

छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1247/1996

कृषि उपज मंडी समीति, मुंगेली

------याचिकाकर्ता

विरुद्ध

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, बिलासपुर एवं अन्य

उत्तरवादीगण

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति **श्री सतीश के. अग्निहोत्री।**

कुमारी सुनीता जैन, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता।
श्री आर. एस. पटेल, उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मौखिक आदेश
(दिनांक 1 मार्च, 2006)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री** द्वारा पारित किया गया:

1. उत्तरवादी क्रमांक 2 (श्री रामेश्वर प्रसाद यादव) को याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 1984 में चौकीदार के पद पर दैनिक वेतनभोगी के आधार पर नियोजित किया गया था। वह दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में तब तक कार्यरत रहा जब तक कि उसे दिनांक 26.01.1991 के आदेश द्वारा सेवा से पृथक् नहीं कर दिया गया। उत्तरवादी क्रमांक 2 ने व्यथित होकर, उप श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ क्षेत्र, रायपुर के समक्ष एक विवाद उठाया। उप श्रमायुक्त, रायपुर ने अपने आदेश क्रमांक 109 दिनांक 11.10.1991 द्वारा, विवाद को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत श्रम न्यायालय, बिलासपुर को निर्देशित किया। निर्देश प्रकरण क्रमांक 89/आई.डी.ए./91 के रूप में पंजीकृत किया गया।

2. श्रम न्यायालय ने अपने अधिनिर्णय दिनांक 23.01.1996 द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि उत्तरवादी क्रमांक 2 ने पूर्ववर्ती वर्ष में 240 दिनों से अधिक कार्य किया था, क्योंकि उत्तरवादी

क्रमांक 2 ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसने निरंतर कार्य किया था। याचिकाकर्ता, उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा किए गए अभिकथनों का खंडन नहीं कर सका। याचिकाकर्ता इसके अतिरिक्त कोई दस्तावेजी साक्ष्य, अर्थात् संबंधित मस्टर रोल, उपस्थिति पंजी आदि प्रस्तुत करने में विफल रहा। श्रम न्यायालय ने तदनुसार यह अभिलिखित किया कि याचिकाकर्ता ने दैनिक वेतनभोगी के आधार पर निरंतर कार्य किया था। तदनुसार, श्रम न्यायालय ने अधिनिर्णय द्वारा निर्देश का उत्तर दिया कि उत्तरवादी क्रमांक 2 की सेवा समाप्ति अनुचित एवं अवैध है। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया कि वह उत्तरवादी क्रमांक 2 को पूर्ण पिछला वेतन (back wages) और पारिणामिक लाभों के साथ सेवा में बहाल करे।

3. व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत यह याचिका, श्रम न्यायालय द्वारा पारित अधिनिर्णय दिनांक 23.01.1996 को इस आधार पर चुनौती देते हुए प्रस्तुत किया है कि उत्तरवादी क्रमांक 2 ने यह सिद्ध नहीं किया कि उसने पूर्ववर्ती वर्ष और उससे पहले 240 दिनों से अधिक कार्य किया था, और इस प्रकार, उत्तरवादी क्रमांक 2 किसी भी अनुतोष का हकदार नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी होने के कारण 'कार्य नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत पर पिछला वेतन का भी हकदार नहीं है। केवल नियमित कर्मचारी ही पारिणामिक लाभों, जिसमें पिछला वेतन भी शामिल है, के हकदार होते हैं, यदि सेवा समाप्ति के आदेश को न्यायालय द्वारा अपास्त या अवैध घोषित किया जाता है। यह उत्तरवादी क्रमांक 2 का मामला नहीं था कि वह किसी रिक्त पद के विरुद्ध नियमित आधार पर कार्य कर रहा था।

5. इसके विपरीत, उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री आर. एस. पटेल का निवेदन है कि उत्तरवादी क्रमांक 2 ने अपने मामले को पूरी तरह से सिद्ध किया है कि उसने पूर्ववर्ती वर्ष और उससे पहले भी 240 दिनों से अधिक कार्य किया था। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 2 के निवेदनों का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं को सुना है तथा याचिका और जवाब दावा के साथ संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया है।

7. मुझे आक्षेपित अधिनिर्णय में कोई विकृति या अवैधता नहीं मिली, क्योंकि आक्षेपित अधिनिर्णय उचित साक्ष्य के आधार पर और मामले में उचित विधि लागू करने के उपरांत पारित किया गया था। जहाँ तक पिछला वेतन के प्रश्न का संबंध है, यह स्वीकार्य है कि उत्तरवादी क्रमांक 2 को दैनिक वेतन पर नियोजित किया गया था और उत्तरवादी क्रमांक 2 ने चौकीदार के पद पर कार्य करना जारी रखा था। उत्तरवादी क्रमांक 2 ने किसी भी नियमित नियुक्ति का दावा नहीं किया था। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को दिन–प्रतिदिन किए गए कार्य के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। पिछला वेतन के किसी भी भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कार्य की उपलब्धता के आधार पर नियोजित किया जाना आवश्यक है और उन्हें उसी आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार, पिछला वेतन प्रदान करने की सीमा तक आक्षेपित अधिनिर्णय विधि में पोषणीय नहीं है और इसे अपास्त किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. याचिका तदनुसार, उपरोक्त सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। सेवा में बहाली के संबंध में श्रम न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है। हालांकि, पिछला वेतन और पारिणामिक लाभों के भुगतान का आदेश अपास्त एवं रद्द किया जाता है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता दिया जाता है ।

हस्ता./–

सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By– Ashish Kumar Himdhar